न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 28/2022

1. जगदीश पुत्र कालुराम जाति स्वामी भादरा त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।

:– वादी

ब ना म

1. कालुराम पुत्र जीवणराम जाति स्वामी निवासी भादरा
2. सुभाष पुत्र कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
3. कमला पुत्री कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
4. कौशल्या पुत्री कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
5. म्नोहरी पुत्री कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
6. भतेरी पुत्री कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
7. गुडडी पुत्री कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
8. माया पुत्री कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
9. संजय पुत्र स्व0 कलावती पुत्री कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
10. रोहताश पुत्र स्व0 कलावती पुत्री कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
11. अन्जु पुत्री स्व0 कलावती पुत्री कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : **वादी**

वकील श्री रामचन्द्र सींवर : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 28/03/22**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बीएचपी के मु0न0 25 के किला न0 5 मु0न0 26 के किला न0 1,2, 8 ता 13, 18 ता 23 मु0 न0 33 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13 की कुल 5.114है0 बारानी खातेदारी च चक 3 बीएचडी के मु0 न0 3 के किला न00 1,10, 11 व मु0 न0 34 के किला न0 1/1, 10/1, 111 ता 13, 19, 20 की कुल 2.1269है0 नहरी बारानी मय रास्ता खाला खोतेदारी प्रतिवादी सं0 1 कालुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा जीवणराम की खातेदारी हुआ करती थी। जीवणराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 कालुराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 11 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 12 को वकील वादी ने तर्क

अंकित किया । प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 जगदीश पुत्र कालुराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत जमाबंदी चक 1 बीएचपी खाता सं0 55/40 प्रदर्श 1 जमाबंदी चक 3 बीएचडी खाता सं0 17/16 प्रदर्श 2 पैतृक जमाबंदी चक 1 बीएचपी प्रदर्श 3 व पैतृक जमाबंदी चक 3 बीएचडी प्रदर्श 4 तथा वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत जमाबंदी चक 1 बीएचपी खाता सं0 55/40 प्रदर्श 1 जमाबंदी चक 3 बीएचडी खाता सं0 17/16 प्रदर्श 2 पैतृक जमाबंदी चक 1 बीएचपी प्रदर्श 3 व पैतृक जमाबंदी चक 3 बीएचडी प्रदर्श 4 तथा वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये जिसमें प्रदर्श 3 व 4 से वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 5 में वर्णित वारिसों के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना बताया गया है। प्रतिवादी सं0 1 व 3 ता 11 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है । इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बीएचपी के मु0न0 25 के किला न0 5 मु0न0 26 के किला न0 1,2, 8 ता 13, 18 ता 23 मु0 न0 33 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13 की कुल 5.114है0 बारानी खातेदारी च चक 3 बीएचडी के मु0 न0 3 के किला न00 1,10, 11 व मु0 न0 34 के किला न0 1/1, 10/1, 111 ता 13, 19, 20 की कुल 2.1269है0 नहरी बारानी मय रास्ता खाला खोतेदारी प्रतिवादी सं0 1 कालुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 कालुराम का नाम कलमजन कर वादी जगदीश व प्रतिवादी सं0 2 सुभाषचन्द्र को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/03/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 28/2022

1. जगदीश पुत्र कालुराम जाति स्वामी भादरा त0 भादरा जिला हनुमानगढ।

:– वादी

ब ना म

1. कालुराम पुत्र जीवणराम जाति स्वामी निवासी भादरा
2. सुभाष पुत्र कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
3. कमला पुत्री कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
4. कौशल्या पुत्री कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
5. म्नोहरी पुत्री कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
6. भतेरी पुत्री कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
7. गुडडी पुत्री कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
8. माया पुत्री कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
9. संजय पुत्र स्व0 कलावती पुत्री कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
10. रोहताश पुत्र स्व0 कलावती पुत्री कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
11. अन्जु पुत्री स्व0 कलावती पुत्री कालुराम जाति स्वामी निवासी भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी राजस्व भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रामचन्द्र सींवर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बीएचपी के मु0न0 25 के किला न0 5 मु0न0 26 के किला न0 1,2, 8 ता 13, 18 ता 23 मु0 न0 33 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13 की कुल 5.114है0 बारानी खातेदारी च चक 3 बीएचडी के मु0 न0 3 के किला न00 1,10, 11 व मु0 न0 34 के किला न0 1/1, 10/1, 111 ता 13, 19, 20 की कुल 2.1269है0 नहरी बारानी मय रास्ता खाला खोतेदारी प्रतिवादी सं0 1 कालुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 कालुराम का नाम कलमजन कर वादी जगदीश व प्रतिवादी सं0 2 सुभाषचन्द्र को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/03/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी),
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़